



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13102025-266845
CG-CG-E-13102025-266845

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4497]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

बिलासपुर, 8 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4626(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के तालिका के स्तंभ (4) एवं (5) में उल्लिखित तहसील एवं जिला से संबंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता हूँ।

सारणी—1

क्रम सं.	पहले नामांकित सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसील	जिला	नवीन प्रस्तावित सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया	“एडीईएन/आरआईजी के अधिकार क्षेत्र के तहत के डीटीआर-बीईएफ के बीच किमी-599/18-20 पर एल सी नंबर 297 के बदले में अद्वेर एल एच एस का निर्माण”	रायगढ़	रायगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बीएसपी/आर यू बी/एलसीसंच्या297/भूमि अधिग्रहण/10]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C.RAILWAY)

CORRIGENDUM

Bilaspur, the 8th October, 2025

S.O. 4626(E).— In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (6) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below & relating to Taluka and District in column (4) & (5) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE-1

Sl. No.	Earlier Nominated Competent Authority	Special Railway Project	Taluka	District	New Proposed Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sub Divisional Officer, Kharsia	“Construction of incomplete LHS in lieu of LC No. 297 at KM-599/18-20 between KDTR-BEF under the jurisdiction of ADEN/RIG.”	Raigarh	Raigarh	Sub Divisional Officer (Revenue),Raigarh

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/RUB/LC No. 297/land acquisition/10]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP